

मंत्रिमंडल (संसदीय कार्य) सचिवालय विभाग

संख्या—सं०का०१/विं०म०(सदस्यों)४०२३/२००६-९३०/ दिनांक—२३ सितंबर, २००६।
 विहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता एवं पैशान) अधिनियम, २००६
 (अधिनियम सं०-१६, २००६) की धारा ८ द्वारा प्रदत्त शब्दियों का प्रयोग करते हुए विहार राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथा :—

॥ नि य भा व ली ॥

१. (१) यह नियमावली विहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पैशान) नियमावली, २००६ कड़ी जा सकेगी।
- (२) यह नियमावली पहली अवटूर, २००६ से प्रवृत्त होगी।
२. इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ के विरुद्ध न हो :—
- (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, विहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पैशान) अधिनियम, २००६।
- (ख) “सदन” से अभिप्रेत है, यथारिति, विहार विधान सभा या विहार विधान परिषद;
- (ग) “दिन” से अभिप्रेत है कलेंडर वर्ष का नव्य रात्रि से चौबीस घण्टे का दिन;
- (घ) “निवास रथान” से अभिप्रेत है, वह रथान जो लिखित रूप में सूचित किया गया हो;

टिप्पणी :— निवास रथान में किसी प्रकार का परिवर्तन नियमावली के आरंभ की तिथि से एक नाह के भीतर सूचित की जाएगा।

- (ङ.) “सचिव” से अभिप्रेत है, यथारिति, विधान सभा या विधान परिषद के सचिव तथा इसमें विधान सभा या विधान परिषद के सचिव द्वारा साशक्ति किये गये, यथारिति, संसुचित सचिव, उप सचिव या अवर सचिव समितिंत हैं।
- (च) “सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित कार्य” से अभिप्रेत है ऐसा कोई कार्य जो सामन्यतः सदन के कृत्यों से उद्भुत हो और इसमें सदन या इसके पीठासीन पदाधिकारी द्वारा गठित, मनोनीत या नियुक्त विभिन्न समितियों, आयोगों, बोर्डों या अध्ययन दलों के कार्य अथवा किसी ऐसी समिति या समिनार आदि में, सदन के आदेशों और विनियमों द्वारा समिति के सदस्यों को सौंपे गये अन्य कार्य शामिल हैं, किन्तु इसमें सरकार अथवा स्वाक्षासी निगमित निकायों द्वारा गठित, निमित या नियुक्त समितियों, आयोगों, बोर्डों और अध्ययन दलों में भाग लेना शामिल नहीं है।

- (४) "माह" से अभिप्रेत है कैलेंडर वर्ष का माह;
- (५) "प्राधिकृत चिकित्सक" से अभिप्रेत है राज्य के चिकित्सा गहाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक/विद्यायक अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अथवा जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन)/ राज्य में स्थित केन्द्रीय, राजकीय अथवा निर्वाचित चिकित्सा संस्थान/राज्य सम्पोषित चिकित्सा संस्थान के प्रभारी पदाधिकारी;
- (६) "सरकार" से अभिप्रेत है, विधार सरकार;
- (७) "मरीज" से अभिप्रेत है, रादरय अथवा उसके परिवार या वह सदस्य जो दीमार हो;
- (८) "परिवार" से तात्पर्य है, संदस्य की पत्नी/पति, आश्रित अवयरक मुत्र/पुत्री अथवा प्रेरो गाता/पिता जो पूर्णतः रादरय पर आश्रित हो;
- (९) "उपचार" से अभिप्रेत है, राज्य में स्थित केन्द्रीय/राजकीय/निर्वाचित अस्पतालों/नर्सिंग होमों में अथवा सरकारी चिकित्सक द्वारा अनुशासित देश के किसी भी मान्यताप्राप्त अस्पताल/ नर्सिंग होम में चिकित्सीय एवं शल्य क्रिया द्वारा उपचार;
- (१०) इस नियमावली में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के बही अभिप्रेत होंगे जो नियमावली में इसके प्रति समनुदेशित किये गये हो।

३. सदस्यों का वेतन। —

प्रत्येक सदस्य,

- (१) भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में विधिवत अधिसूचित किये जाने की तिथि से;
- (२) राज्यपूल द्वारा जिस जगह के लिए मनोनयन किया जाना है, उस जगह के लिए उनके द्वारा मनोनयन की तिथि से या यदि मनोनयन, पदरिक्त होने के पूर्व किया जाता है, तो पद रिक्त के होने की तिथि से;

8000/- रु० प्रतिमाह की दर से वेतन एवं अनुमान्य भत्ते पाने के हकदार होंगे:

परन्तु जहाँ कोई व्यक्ति, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित या किसी निगम, किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार या अन्य प्राधिकार के अधीन या किसी व्यक्ति से अपने वेतन का हकदार हो और उस सरकार, निगम, स्थानीय प्राधिकार या अन्य प्राधिकार या व्यक्ति से वेतन प्राप्त करता हो और

- (i) यदि वह वेतन की राशि इस नियमावली के अधीन प्राप्त होने वाली वेतन की राशि के समतुल्य या उससे अधिक हो तो वह किसी वेतन का हकदार नहीं होगा।

- (ii) यदि वह वेतन की राशि इस नियम के अधीन प्राप्त होनेवाली राशि से न्यून भी तो वह इस नियमावली के अधीन उसी राशि का हकदार होगा जो कम हो।
- (ग) उत्तरवर्ती नियमों के उपर्योगों के अध्यधीन किसी सदस्य के किसी मात्र का वेतन उत्तरवर्ती माह के प्रथम दिन को देय होगा:

परन्तु किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने की दशा में उसका वेतन उसी दिन तक देय होगा जिस दिन वह स्थान रिक्त होता हो तथा वेतन की निकासी उसके पश्चात किसी भी दिन की जा सकेगी।

- (घ) रथान रियत होने संबंधी सूचना की एक प्रति अतिम वेतन विपत्र के साथ संलग्न की जायेगी।

टिप्पणी — ये उन भूमि इत्यादि की निकासी, मुगलान एवं लेचा संवारण की प्रक्रियायें पूर्ववत् रहेंगी।

4. **क्षेत्रीय भूमि** — विहार विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य भारत के भुजाव आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रतिमाह ₹० 10000/- क्षेत्रीय भूमि पाने का हकदार होगा।

5. **मोटर गाड़ी क्रय** हेतु ऋण की सुविधा। — विहार विधान मण्डल के किसी सदस्य की मांग पर मोटर गाड़ी क्रय हेतु गाड़ी के मूल्य के समतुल्य राशि या अधिकतम छह लाख, रुपये जो भी कम हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, राज्य सरकार द्वारा ऋण के रूप में स्वीकृत की जायेगी :—

- (i) अग्रिम रवीकृत करने हेतु वित्त विभाग के प्राधिकृत पदाधिकारी, गंजूरी पदाधिकारी होंगे। अग्रिम की स्वीकृति के लिए आवश्यक आदेश वित्त विभाग, विहार सरकार द्वारा जारी किये जायेंगे और स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं वितरण एवं वभूली, यथारिति, विदान सभा / परिषद् संविधालय द्वारा किया जायेगा।

- (ii) मोटर गाड़ी अग्रिम की राशि (चेक/बैंक खापट) गाड़ी की कम्पनी/डीलर को सीधे मुगलीय होगी।

- (iii) इस नियामावली के अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, वैसे विधान मण्डल के सदस्य भी मोटर गाड़ी क्रय हेतु पुनः अग्रिम प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो पूर्व में मोटर गाड़ी क्रय हेतु ली गयी अग्रिम की पूर्ण राशि, आज सहित वापस कर चुके हों। अथवा शेष अग्रिम की राशि सूद सहित यदि एक मुश्त लोटा देते हों। विधान मण्डल के वैसे सदस्य, जो पुनः अग्रिम की मांग करते हों, उन्हें यथारिति, संपिद विहार विधान सभा / संविधि, विहार विधान परिषद् से प्राप्त इस आशय का प्रमाण—पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा कि पूर्व में ली गयी अग्रिम की राशि सूद सहित वापस कर दी गयी है।

परन्तु सदस्यों को एक कार्यकाल में सिर्फ़ एक बार कार—अग्रिम दिया जायेगा।

- (iv) यदि मोटरगाड़ी का बारतीयक गूल्य स्वीकृत घनराशि से कम हो तो शेष घनराशि सरकार को तुरत लीटा दी जायेगी।
- (v) स्वीकृत घनराशि के आहरण के पूर्व ही सदस्य को नियमावली के परिशिष्ट (क) में विहित प्रपत्र में एक अनुबंध पत्र गरकर प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृत अग्रिम के आहरण के एक महीने के भीतर संबंधित सदस्य मोटरगाड़ी क्रय करके नियमावली की परिशिष्ट (ख) में विहित प्रपत्र में बंधक-पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त क्रय किये गये वाहन को बिहार राज्यपाल के नाम बंधक रखा जायेगा। अनुबंध-पत्र और बंधक-पत्र सुरक्षा तथा अभिलेख हेतु सरकार को प्रस्तुत किये जायें।
- (vi) मोटर गाड़ी अग्रिम पर ५ प्रतिशत (पांच प्रतिशत) साधारण वार्षिक ब्याज देय होगा।
- (vii) मोटर गाड़ी अग्रिम की वसूली ६० (साठ) समान मासिक किश्तों में और यदि संबंधित रादस्य की विधान मण्डल की सदस्यता की अवधि ५ वर्षों से कम हो, तो ऐसो रादस्य की रादरपता की आगामी अग्रिम के भीतर साठ से कम समान मासिक किश्तों में की जा सकेगी।
- (viii) इस नियमावली के अधीन स्वीकृत अग्रिम तथा इस पर देय ब्याज की वसूली सदस्यों से उनके बेतन एवं नती, यात्रा-मत्ता या किसी अन्य भत्ता या बिल से विधान सभा/विधान परिषद् के सचिव द्वारा अपेक्षित घनराशि की कटौती की जायेगी।
- (ix) यदि क्रत्ती विधान मण्डल का सदस्य न रह जाय, तो मोटरगाड़ी अग्रिम की राशि, ब्याज सहित उनकी सदस्यता की अवधि की समाप्ति के बाद भी उनको देय पेशन से वसूल की जायेगी।
- (x) अग्रिम की वसूली मोटरगाड़ी क्रय हेतु स्वीकृत घनराशि के आहरण के तुरत शब्द बाल नाह से प्रारम्भ होगी।
- (xi) सदस्य के अग्रिम की, ब्याज सहित, अदरोध सम्पूर्ण घनराशि नियत अवधि से पहले एकमुश्त जमा करने की छूट होगी।
- (xii) यदि अग्रिम प्राप्त करने वाला सदस्य मन्त्री के रूप में नियुक्त हो जाय तो भुगताय ब्याज की दर, उसकी वसूली हेतु निर्धारित किश्तों की राख्या एवं अन्य शर्तें वही रहेंगी, जो इस नियमावली के अधीन विहित की गयी हैं।
- (xiii) अग्रिम एवं ब्याज की वसूली का लेखा, यथारिति, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय द्वारा रखा जायेगा। पेशन से वसूली की रिति में संबंधित जिले के कोषागार पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह इस आशय का एक प्रभाग-पत्र, यथारिति, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय को प्रेषित किया जायेगा कि संबंधित प्यक्षित से संबंधित माह में अग्रिम/सूट की किश्त की वसूलो कर ली गयी है और सुरांगत प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा कर दिया गया है।

- (xiv) यदि अधिकम तथा उस पर देय व्याज की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली के पहले ही सदस्य नी गृह्य हो जाये या वह किसी भी कारण से विधान मण्डल का सदस्य न रह जाय और वह पशन का हकदार न हो, या उसे किसी भी कारण से पैशान नहीं प्राप्त हो या पैशान बंद हो जाय और किसी अन्य कारण से वह अधिकम/व्याज की किसी का नियमित भुगतान नहीं कर पाये तो अधिकम तथा उस पर देय व्याज की अवशेष धनराशि, राज्य सरकार द्वारा वसूलनीय होगी और राज्य सरकार अवशेष राशि को सदस्य या उराने विधिक उत्तराधिकारियों से किसी भी तरह अथवा लोक मांग वसूली अधिनियम के अधीन लोक नाम वसूली के रूप में वसूली कर सकेगी।
- (xv) १- यदि जिस बाहन का क्रय सरकार से प्राप्त अधिकम की सहायता से किया गया हो परन्तु अधिकम की राशि अभी वसूलेय हो, वैसी विधिमें, गाड़ी को, उधार लेने वाला सदस्य, राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर देय सकता है।
- २- राज्य सरकार, वैसे दृष्टिकोण से जिसमें अधिकम की पूर्व वसूली के पूर्व ही नये बाहन के क्रय हेतु पूर्व में अधिकम से लिया गया बाहन देखा जाता है, ऐसी विधि से प्राप्त राशि जो उपर्योग निर्धारित शर्तों के अधीन, नये बाहन के क्रय हेतु करने की स्वीकृति दे सकते हैं:-
- (क) यकाया अधिकम की राशि क्रय किये जानेवाले बाहन की कीमत से ज्यादा न हो,
- (ख) यकाया अधिकम की राशि पूर्व से निर्धारित किसी एवं व्याज की दर पर वसूल की जायेगी,
- (ग) नये क्रय किये जानेवाले बाहन को बीमा कराकर राज्यपाल के नाम बंधक रखना होगा।
६. स्टेशनरी की सुविधा। - विहार विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य को भारत चुनाव आयोग के द्वारा अधिसूचित करने की विधि से संसदीय कार्यों के समाप्ति के क्रम में पारदूल, स्टेशनरी और कार्यालय व्यय बहन करने के लिए ४०००/- (चार हजार) रुपये प्रतिमाह की दर से स्टेशनरी भत्ता भुगतेय होगा।
७. निजी सहायक की सुविधा। - प्रत्येक सदस्य भारत द्वारा चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने की विधि से संसदीय कार्यों में सहायता के लिए निन्जलिंगित शर्तों के अधीन निजी सहायक/सहायकों को रख सकेंगे, जिसके लिए उन्हें मात्र १००००/- (दस हजार) रुपये प्रतिमाह भुगतेय होगा।
- परन्तु यह कि एक से अधिक निजी सहायक रखने पर भी अधिकतम १००००/- रु० प्रतिमाह ही देय होगा और यह राशि सीधे निजी सहायक/सहायकों को ही भुगतेय होगा।

- (1) निजी सहायक/सहायकों को रखने के बाद उन्हें, यथास्थिति, इसकी सूचना, यथास्थिति, संचिव, विधान सभा संचिवालय/विधान परिषद् संचिवालय दो विहित प्रपत्र में देनी होगी। विहित प्रपत्र विहार विधान सभा संचिवालय/विहार विधान परिषद् संचिवालय द्वारा विहित किया जायेगा।
- (2) निजी सहायक/सहायकों को प्रतिमाह रुपये 10000/- (दस हजार) की राशि, इसके लिए विपत्र प्रत्युत्त करने पर, दी जायेगी। यह राशि सदस्यों के बेतन एवं भर्ते का भाग नहीं होगी।
- (3) सहायक को हटाकर दूसरे व्यक्ति को सहायक रखने का अधिकार सदस्य को होगा एवं उन्हें इसकी जानकारी, यथास्थिति, विधान राजा/विधान परिषद् संचिवालय को पुनः विहित प्रपत्र में देनी होगी।
- (4) निजी सहायक के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति, विहार सरकार अथवा विहार विधान सभा/विहार विधान परिषद् के कर्मचारी होने का दावा नहीं करेगा तथा विहार सरकार अथवा विहार विधान राजा/विहार विधान परिषद् में नियुक्त होने इतु उसका कोई दावा प्रह्लणीय नहीं होगा।

८. यात्रा भत्ता। –

- (क) प्रत्येक सदस्य, आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव, उप चुनाव अथवा मनोनयन की दशा में, यथास्थिति, विधान मंडल के संयुक्त अधिवेशन अथवा विधान सभा या विधान परिषद् के अन्य अधिवेशन में पहली बार उपस्थित होने के निमित्त, रेल यात्रा की दशा में, प्रथम श्रेणी/ए०सी० टू-टीयर के किराये के डगोदा गाडा तथा निजी कार से यात्रा की दशा में, प्रति किलोमीटर 10/- रुपये भील भत्ता पाने का हकदार होगा;
- (ख) प्रत्येक सदस्य, यथास्थिति, विधान मंडल का संयुक्त अधिवेशन या विधान सभा या विधान परिषद् का अधिवेशन या विधान सभा/विधान परिषद् की समिति के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित किरायी अन्य कार्य में भाग लेने के निमित्त अपने सामान्य निवास स्थान से उस स्थान तक, जहाँ संयुक्त अधिवेशन या विधान सभा/विधान परिषद् का अधिवेशन अथवा विधान सभा या विधान परिषद् की समिति की घैटक या अन्य कार्य किया जानेवाला हो, उनके द्वारा की गई प्रत्येक यात्रा और ऐसे रथान से अपने सामान्य निवास स्थान की वापरी यात्रा के लिए केवल निम्नलिखित ग्राप करने का हकदार होगा:—
 - (i) रेल द्वारा की गई हरेक यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी/ए०सी० टू-टीयर के किराये की आधी रकम की दर से आनुषांगिक खर्च;
 - (ii) राज्य पथ परिवहन सेवा की बसों द्वारा की गयी हरेक यात्रा के लिए निर्धारित बस भाड़ा के समतुल्य अतिरिक्त राशि का आनुषांगिक खर्च;
 - (iii) प्राइवेट बस द्वारा की गयी यात्रा के लिए बस भाड़े की दूसरी राशि का भुगतान;

(v) निजी कार से सड़क मार्ग से की गयी यात्रा के लिए 10/- प्रति किलोमीटर की दर से 'मील-भत्ता' देय होगा।

(vi) जल मार्ग से की गयी यात्रा के लिए वारतविक खर्च:

परन्तु जब सदस्य अपनी गाड़ी से यात्रा करता है तथा नदी के पार जाना हो तो वह नील भत्ता के अतिरिक्त वारतविक जल-परिषद्धन खर्च पा सकेगा:

परन्तु राड़क मार्ग से की गयी यात्रा के लिए मील भत्ता, प्रत्येक रात्रि के आरंभ में सदल की बैठक में भाग लेने के लिए और सत्रावसान के बाद अपने रथायी नियारा स्थान वापसी के लिए, सिर्फ़ एक बार भुगतेय होगा:

परन्तु और कि इस रकम का भुगतान उसी अवस्था में किया जायेगा जब सदस्य के पास निजी मोटर कार हो तथा वे इस आशय का प्रनाल पत्र दें कि उन्होंने वारतव में दफत यात्रा अपनी मोटर कार से की है:

परन्तु और भी कि यदि कोई सदस्य विद्यान सभा/विद्यान परिषद् की समिति की बैठक में भाग लेने के प्रयोजनार्थ निजी कार से यात्रा करे तो वह 10/- - ८० प्रति किलोमीटर की दर से मील भत्ता पाने का हकदार होगा किन्तु यह समिति की बैठक की समाप्ति के तत्काल बाद की गयी यात्रा अवधि के लिए ही अनुमान्य होगा और एक भाड़ में ऐसी सिर्फ़ दो यात्राएँ ही अनुमान्य होंगी। मील भत्ता परीक्षा सदस्य को भुगतेय होगा जो इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि उनके पास अपनी निजी कार है एवं उसी से उनके द्वारा यात्रा की गई है। ऐसे सदरय को, जिनके पास निजी गाड़ी नहीं है, उन्हें इस प्रयोजनार्थ एक माह में यात्रा दो बार रेल की यात्राओं के लिए प्रथम श्रेणी / ए०३०० टू-टीयर का द्व्योष्ठा रेल भाड़ा भुगतेय होगा:

परन्तु और आगे कि राज्य के बाहर, रेल मार्ग से जुड़े स्थानों से भिन्न, किसी अन्य स्थान के लिए की गई यात्रा हेतु प्रति किलोमीटर 10/- रुपये की दर से मील भत्ता भुगतेय होगा:

परन्तु यह और आगे भी कि वैसे सदस्य को कोई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा, जो साधारणतः उस स्थान से पाव किलोमीटर के भीतर रहते हों, जहाँ संयुक्त अधिवेशन अध्यया विद्यान सभा/विद्यान परिषद् का अधिवेशन या विद्यान सभा/विद्यान परिषद् की समिति वी बैठक हुई हो या सदस्य के रूप में उनके चर्चावालों से संबंधित अन्य यार्थ किया गया हो।

(g) नियमावली के अधीन जिस यात्रा के लिए यात्रा-भत्ता अनुमान्य है और जो रेल या राड़क द्वारा अव्याप्त अवस्था: सड़क और अंशतः रेल द्वारा तय की जा

संकती हो उसके लिए यात्रा-भत्ता सबसे शरते और निकटतम् भाग के यात्रा-भत्ता तक रीमिट रहेगा वहाँ वह किसी प्रकार की यात्रा की गई हो।

(घ) यदि अधिवेशन लगातार अवधि 21 दिनों से अधिक हो, और किसी सदस्य में 15 दिनों तक अधिवेशन में भाग लिया हो, तो वह सरकारी खर्च पर एक बार घर लौटने के लिए अधिवेशन के स्थान से अपने निवास स्थान पर जाने और अपने निवास स्थान से अधिवेशन के स्थल तक बापस आने के लिए निम्नलिखित दर से यात्रा-भत्ता पाने का हकदार होगा, वर्षाँ कि उक्त यात्राएँ बस्तुतः की गई हों और सदस्य द्वारा उसी अधिवेशन में पुनः भाग लिया गया हो :-

- (i) रेल द्वारा की गई हरेक यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी/ए०री० दू-टीयर के किसाये की आधी एकम एवं आनुषांगिक चार्ज;
- (ii) राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से की गई हरेक यात्रा के लिए नियंत्रित बस भाड़ के समतुल्य अतिरिक्त राशि वा आनुषांगिक चार्ज;
- (iii) प्राईवेट बस द्वारा की गई यात्रा के लिए बस भाड़ की तुम्हारी राशि का भुगतान और
- (iv) निजी कार से की गयी यात्रा की दशा में 10/- रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भील भत्ता;
- (v) जल भाग से की गयी यात्रा की दशा में वार्तविक खर्चः

परन्तु यह नी कि जब सदस्य अपनी गाड़ी से यात्रा करता हो तथा नदी के पार जाना हो, तो वह भील भत्ता के अतिरिक्त वार्तविक जल-परिवहन खर्च पा सकेगा:

परन्तु सदस्य को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके पास अपनी निजी कार है एवं उसी से उनके द्वारा यात्रा की गई है।

स्पष्टीकरण - "अविविक्न अधिवेशनमाला" वह मानी जायेगी जिसमें किन्हीं दो अधिवेशनों के बीच शनिवार और शनिवार सहित ना वा उससे कम दिनों का अन्तराल बढ़े जिसमें कोई अधिवेशन न हुआ है।

(ङ.) यात्रा-भत्ता, यात्रा पूरी करने के बाद, भुगताय होगा और इसके लिए सदस्य विहित प्रपत्र में दावा करेंगे जो संधिय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। संधिय ऐसे विषयों पर, इस बात का अपना पूरा समाधान कर लेने के बाद प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे कि सदस्य ने रेल या सड़क यात्रा में निकटतम् भाग से लोक-हित में और सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित किसी अधिवेशन में या किसी कार्य में भाग लेने के लिए यात्रा की है। संधिय का यह दायित्व होगा कि सदस्य द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्रों के संबंध में अपना समाधान कर लें।

दैनिक भत्ता। -

(१) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रत्येक राजदूत हर निवास दिन या उसके किसी अंश के लिए पटना में प्रतिदिन ५००/- रु० की दर से एवं प्रत्येक विंशीप वर्ष में राज्य के अन्दर अधिकतम बीस दिनों के लिए प्रतिदिन ५००/- रु० तथा राज्य के बाहर अधिकतम १५ दिनों के लिए प्रतिदिन १०००/- रु० दैनिक भत्ता पाने या हक्कदार होगा:

परन्तु बैठक में भाग लेने हेतु की गयी यात्रा की अवधि एवं बैठक में भाग लेने के पश्चात् बापत लौटकर आने के लिए की गयी यात्रा की अवधि निवास दिन के रूप में जोड़ी जायेगी।

(२) विधान सभा/विधान परिषद के अधिवेशन में या संयुक्त अधिवेशन में उपरिथत होने के प्रयोजनार्थ।

स्पष्टीकरण — इस निवास दिन में विधान सभा या विधान परिषद का अधिवेशन या संयुक्त अधिवेशन प्रारंभ होने के पूर्व तथा समाप्त होने वे बाद का अधिक से अधिक एक दिन के निवास की अवधि भी शामिल है :

परन्तु इसके लिए सदस्यों को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उन दिनों उस स्थान पर उपरिथत थे जहाँ ऐसे अधिवेशन हुए हैं:

परन्तु और कि यदि इस नियम के खण्ड (क) के प्रयोजनार्थ एवं ही अधिवेशन में नी या उससे कम दिन का अन्तराल पड़ जाय तिरके द्वारा कोई अधिवेशन न हो, तो सदस्य ऐसे अधिवेशन के लिए प्रारंभ दर से दैनिक भत्ता पाने का हक्कदार होगे, वहाँ कि उक्त अन्तराल के पहले के अंतिम दिन तक अधिवेशन में तथा बाद ताले अधिवेशन में भाग लिया हो।

स्पष्टीकरण — (३) किसी तिथि को बैठक की समाप्ति पर समारूपता पर यदि कोई सदस्य आये किन्तु सदन की बैठक में भाग नहीं ले सके तो प्रथम उस दिन सभा-स्थल पर ठहरना रादन की बैठक में भाग लेने के लिए आवास नहीं भाना जाए जबकि कि, यसारिएति, अच्युक या समाप्ति, द्वारा अन्यथा आदेश न दिया जाय।

(४) "अविधिन अधिवेशनमाला" वह गारी जायेगी जिसके किन्ही दो अधिवेशनों के बीच शनिवार और शनिवार सहित नी यां छुसले कम दिनों का अन्तराल पड़े जिसमें कोई अधिवेशन नहीं हुआ ती।

(५) विधान मंडल की समिति की बैठक में समिलित होने के प्रयोजनार्थ।

राज्य के भीतर स्थल अच्युत यात्रा के लिए समिति के सदस्यों को सरकार के संबंधित विभाग के द्वारा गाड़ी उपलब्ध करायी जायेगी।

- (ग) सदस्य के रूप में अपने कार्यों से रांचीत अन्य कार्यों में भाग लेने के प्रयोजनार्थ।
- (2) यदि कोई सदस्य इस नियम ४ के खण्ड (क) के प्रयोजनार्थ अधिवेशन के स्थान पर यीमार पड़ जाय और अधिवेशन में भाग लेने में असमर्थ हो जाय तो वह धीमारी की अवधि के लिए, जो एक वित्तीय वर्ष में (१ अप्रैल से अगले वर्ष ३१ मार्च तक) २१ दिनों से अधिक न होगी, दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा। वर्तमान कि वह, यथारिति, विधान सभा या विधान परिषद् के पीठासीन पदाधिकारी से उनके समाधान के अनुरूप अपनी धीमारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दे:
- परन्तु यदि कोई सदस्य इस नियम ४ खण्ड (क) के प्रयोजनार्थ अस्पताल में अन्तर्वासी रोगी के रूप में पूरी अवधि के लिए, यथारिति, विधान सभा या विधान परिषद् के पीठासीन पदाधिकारी के रामकार्यप्रद प्रिविलेज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा।
10. ~~एको~~ रेल/विमान से यात्रा की सुविधा। — प्रत्येक सदस्य को, उनके कार्यों के सम्बन्धन-हेतु-उन्हें एक सहयात्री के साथ, प्रथम ४०सौ०, द्वितीय ४०सौ०, तृतीय ५०सौ० श्रेणी में भारत के भीतर किसी रथान या स्थानों की यात्राओं के लिए, प्रतिवर्ष अधिकतम एक लाख पचास हजार रुपये मूल्य का रेलवे कूपन दिये जायेंगे। सदस्य इस कुल १.५० लाख रुपये की भीमा के अधीन रहते हुए निजी परिवार के सदस्यों के साथ अधिकतम ७५०००/- रुपये के हवाई यात्रा के हकदार होंगे।
- स्वास्थ्यकरण** — “वर्ष” से अभिप्रैत है वित्तीय वर्ष जो १ अप्रैल से ३१ मार्च की अवधि होगी।
11. सदस्यों को आवास की सुविधा। — प्रत्येक सदस्य को, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से, या उनके कार्यकाल प्रारम्भ होने की तिथि से, पटना में ऐसी रियायती दर एवं अन्य शर्तों के अधीन भकान कियाये का भुगतान, करने पर, आवास उपलब्ध किया जायेगा, जैसा कि राज्य सरकार का भवन निर्माण एवं आवास विभाग, यथारिति, विहार विधान सभा के अध्यक्ष, विहार विधान परिषद् के सभापति की सहमति से समय-रामय पर, यथारिति, नियमों द्वारा अवधिरित एवं विहित करे।
12. चिकित्सा की सुविधा। —
- (1) विहार विधान नगर के प्रत्येक सदस्य को, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से या उनके कार्यकाल का आरम्भ होने की तिथि से, राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी के समान चिकित्सा सुविधायें अनुमान्य होंगी।

- (2) बिहार विधान मण्डल के ऐसे सदस्यों की, गंगीर यीमारियों यथा— गुर्दा शेग, हृदय शेग, फैसर, लकवा, रेटिना फौटेचमेंट, गर्दा प्रत्यारोपन तथा एक्स या घड़ी तुर्पेटना वाले विकित्ति में, विकित्ता पर होनेवाले व्यय का बहन राज्य सरकार करेगी:
- एन्टु दीमारी की विकित्ता की अनुशंसा अनिवार्य होगी और तदस्य के अनुरोध पर विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सा पर होनेवाले अनुमानित व्यय का ७५ प्रतिशत राशि सरकार द्वारा अद्वितीय के रूप में दी जायेगी, शेष २५ प्रतिशत राशि का भुगतान, चिकित्सा पर हुये व्यय का व्योरा समर्पित कररो पर किया जायेगा तथा सदस्य को सिर्फ एक सहयोगी का यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा।
- (3) विधान मण्डल के किसी सदस्य एवं उनके परिवार के किसी सदस्य के वाह्य विकित्ता (३००पौ०डौ०) एवं अंतर्वासी विकित्ता पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति, राज्य सरकार वाला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अवधारित नियनावली की शर्तों के अधीन की जायेगी।
13. विदेश यात्रा की सुविधायें। — सदस्य लोक कार्य से विदेश जाते हैं, तो उन्हें संसद सदस्य के समतुल्य विवास भाड़ा, दैनिक भत्ता आदि की सुविधायें अनुमान्य होंगी:
- एन्टु सदस्य राज्य सरकार की अनुमति लेकर ही विदेश यात्रा पर जा सकेंगे।
14. सदस्यों को टेलीफोन की सुविधा। — प्रत्येक सदस्य को, भारत निर्वाचन आयोग की अधिकृत्या की तिथि या उनके कार्यकाल की तिथि से, उनके पटना सिध्द आवास पर एवं निर्वाचन क्षेत्र या यथान्य निवास पर एक—एक टेलीफोन की सुविधा अनुमान्य होगी। यह दूरभाष, यथारिति, बिहार विधान सभा/विधान परिषद् ये नाम से लगाया जायेगा तथा इसे पटना सिध्द आवास के टेलीफोन के द्वय मासिक विपत्र एवं रोया शुल्क का भुगतान, यथारिति विधान सभा/विधान परिषद् संविदालय द्वारा किया जायेगा।
- (क) निर्वाचन क्षेत्र या निवास स्थान पर सदस्य द्वारा स्थापित टेलीफोन के विपत्र का भुगतान सदस्य रखने करेंगे। टेलीफोन विपत्र भुगतान संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, यथारिति, विधान सभा/विधान परिषद् द्वारा टेलीफोन के स्थानीय कॉल शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति, यथा विहित स्थानीय कॉल सीमा के अधीन रहते हुए, सदस्य को की जायेगी। इसके अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र/सामान्य निवास स्थान पर अधिष्ठापित टेलीफोन का मासिक/द्वेष्मासिक रेन्टल राशि की भी प्रतिपूर्ति की जायेगी किन्तु अधिष्ठापन शुल्क एवं सेवा शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
- (ख)(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक सदस्य को उनके पटना आवास एवं उनके निर्वाचन क्षेत्र आवास पर अधिष्ठापित दोगों टेलीफोनों को मिलाकर अधिकतम निःशुल्क कॉलों की सीमा 1.00,000 (एक लाख) रथानीय कॉल तक नियत होगी:
- एन्टु किसी वित्तीय वर्ष में यदि नियत कॉल सीमा से कम कॉलों का उपयोग किया जाता है तो शेष कॉल अगले वित्तीय वर्ष में अद्यतीत कर दे

समायोजित किया जायेगा एवं अगले वित्तीय वर्ष की कॉल सीमा तदनुसार संशोधित हो जायेगी:

परन्तु और कि सदस्य उसी वित्तीय वर्ष सीमा के अधीन रहते हुए मोबाइल/इंटरनेट का उपयोग एवं रिचार्ज कूपन की सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे।

(ii) किसी वित्तीय वर्ष में सदस्य के पटना आवास एवं उनके निर्वाचन क्षेत्र आवास पर अधिष्ठापित दोनों टेलीफोनों को मिलाकर नियत रथानीय कॉल सीमा की राशि से अधिक राशि का भुगतान, यदि आवश्यक हो, यथास्थिति, बिहार विधान सभा या बिहार विधान परिषद् द्वारा मात्र पटना रिथत आवास पर बिहार विधान सभा/विधान परिषद् द्वारा स्थापित टेलीफोन के मामले में, की जा सकेगी किन्तु इस राशि की कटौती संबंधित सदस्य के बेतन एवं भत्ते से की जायेगी।

(ग) सदस्यों को अनुमान्य दूरभाष की सुविधायें उनकी रादस्यता समाप्त होने पर खत: समाप्त मानी जायेगी।

15. सदस्यों को विद्युत एवं जल विपत्र के भुगतान की सुविधा। — प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह 2000 यूनोट तक के विद्युत विपत्र का भुगतान, यथास्थिति, बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् सचिवालय के द्वारा मात्र पटना निवास के लिये किया जायेगा। उक्त रीमा से अधिक विद्युत की खपत होने पर उसका भुगतान सदस्यों को खबर दिया जाएगा तथा उसका भुगतान कोई नहीं करना पड़ेगा।

16. उपस्कर की सुविधा। — प्रत्येक आम निर्वाचन के बाद, विधान मंडल के सदस्य को स्थान घटण करने के बाद ₹० 25000/- — उपस्कर के लिए, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय द्वारा भुगताये होगा। यह सुविधा उन्हें पूरे कार्यकाल में एक बार ही अनुमान्य होगी।

17. पूर्व सदस्यों को पेशन एवं अन्य सुविधाएं। —

(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो बिहार विधान सभा/विधान परिषद् का सदस्य निर्वाचित/मनोनीत हुआ हो, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित करने या बिहार के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाने की तिथि से या उनका कार्यकाल प्रारम्भ होने की तिथि से, ₹० 6000/- रुपये प्रतिमाह आजीवन पेशन प्राप्त करना होगा और वह प्रत्येक वर्ष की रागायि होने पर ₹० 500/- की दर से आतिरिक्त पेशन प्राप्त करना होगा:

परन्तु छह माह से अधिक एवं एक वर्ष से कम अवधि की गणना पूरे वर्ष के रूप में की जायेगी:

परन्तु यह भी कि तेरहवीं बिहार विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों को भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित करने की तिथि/उक्त विधान सभा का कार्यकाल प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व—सदस्यों की भाँति पेशन/पारिवारिक पेशन आदि की सुविधाएं अनुमान्य होंगी।

- (2) जहां उप नियम (1) के अधीन पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति :-
- राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित, या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्ति हो जाये; या
 - संसद के किसी सदन या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य हो जाय; या
 - केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार या किसी प्राधिकार या किसी व्यक्ति द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित किसी निगम के अधीन वेतन पर नियोजित हो जाय अथवा ऐसी सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकार के किसी पारिश्रमिक का अन्यथा हकदार हो जाय.

वहाँ ऐसा व्यक्ति, उस अवधि के लिए उप नियम (1) के अधीन किसी पेंशन का हकदार नहीं होगा जिस अवधि के दौरान वह वैसा पद धारण करता रहा हो या वैसे सदस्य के रूप में बना रहा हो या इस प्रकार नियोजित रहा हो या ऐसे पारिश्रमिक का हकदार बना रहा हो:

एन्टु, जहां ऐसा पद धारण करने या ऐसा सदस्य होने या इस प्रकार नियोजित होने पर ऐसे व्यक्ति को देय वेतन या जहां ऐसे व्यक्ति को खण्ड (iii) निर्दिष्ट देय पारिश्रमिक, उप नियम (1) के अधीन उसे देय पेंशन से कम हो, वहां ऐसा व्यक्ति इस नियमावली के अधीन पेंशन के रूप में सिर्फ शेष रकम ही प्राप्त करने का हकदार होगा।

- (3) पारिवारिक पेंशन की सुविधा। - ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उप नियम (1) के अधीन पेंशन पाने का हकदार हो, की मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी/पति को आजीवन पारिवारिक पेंशन नीचे अकित दर पर दिया जायेगा।

"पेंशन की राशि का 75 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन भुगताय होगा":

एन्टु, उप नियम (1) का उपबंध एवं शर्त मृत व्यक्ति की पत्नी/पति पर भी लागू होगे:

एन्टु, और कि यदि पारिवारिक पेंशन पानेवाला व्यक्ति आगर शादी कर ले तो ऐसी दशा में पारिवारिक पेंशन पाने का अधिकारी नहीं रह जायेगा।

- (4) रेलवे कूपन की सुविधा। - ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उप नियम (1) के अधीन पेंशन पाने का हकदार हो, अपने एक सहयोगी के साथ प्रथम १०सी०/द्वितीय १०सी०/तृतीय १०सी० में प्रत्येक वर्ष ७५०००/- रुपये मूल्य के रेल कूपन पर यात्रा करने का हकदार होगा।
- (5). चिकित्सा सुविधा। - उप नियम (1) के अधीन पेंशन पानेवाले भूतपूर्व विधायक को आजीवन निःशुल्क चिकित्सा परिधर्या, दवा की आपूर्ति तथा अस्पताल में भर्ती होने की सुविधायें उस पैमाने एवं शर्त पर प्रदान की

जायेगी जो राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर नियमों द्वारा विहित ही जाय।

18. राज्य सरकार को इस नियमावली के प्रावधानों की व्याख्या करने तथा समय-समय पर उसमें संशोधन का अधिकार होगा।

19. निरसन एवं व्यावृत्ति। -

- (i) इस नियमावली के लागू होने की तिथि से निम्नलिखित नियमावली निरसन समझी जायेगी :—
 - (1) बिहार विधान मण्डल (सदस्यों के बेतन एवं भत्ते) नियमावली, 1961.
 - (2) बिहार विधान मण्डल (सदस्यों की दूरभाष सुविधायें) नियमावली, 1976.
 - (3) बिहार विधान मण्डल सदस्यों के सहयोगी (रिलेवे कूपन एवं रोड पास) नियमावली, 1976.
 - (4) बिहार संसदीय सचिव (बेतन एवं भत्ते) नियमावली, 1978.
 - (5) बिहार संसदीय सचिव (मोटर कार अग्रिम) नियमावली, 1961.
 - (6) बिहार विधान मण्डल (सदस्यों को मोटर गाड़ी हेतु अग्रिम) नियमावली, 1993.
- (ii) ऐसे निरसन होते हुए भी, उपर्युक्त उक्त नियम (1) उल्लेखित नियमावलियों के अधीन इस नियमावली के आरम्भ के पूर्व की गई किसी कार्रवाई या किये गये कुछ भी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पढ़ेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

भोगेन्द्र जा.
राजकार के उप सचिव।

भोटरकार धरीदने के निमित्त अग्रिम के लिए अल्लाना-पहुंच का प्रसव

आवेदक का पूरा नाम :-

झोत्र भंडारा:-

पिता/पति का नाम :-

आवेदक का पठननाम :-

कावालय का नाम :-

पर का स्थायी स्थान :-

पठना का वर्तमान पता :-

मोटर वाह का बन्दुमानित मूल :-

अपेक्षित अधिकृती की रकम :-

सदस्यता भवानि की लिखि :-

अंग्रेज फटोजी के विस्तों परी त्रुट्या :-

जब आपने ऐसे छाप के लिए लुटाने भी अधिक लिया है :-
यदि ही तो- (क) अंग्रेज याने की तारीख :-

नई मोटरकार धरीदना चाहते हैं या पुराने :-

अंग्रेज प्राप्ति परी तारीख से एक महीने के भीतर मोटरकार धरीद तैयार।

सदस्यता की झोप्प अवधि :-

निकाली एवं व्यवन पदाधिकारी का पता तथा किस कोषाराम में
निकाली भी जावेगी :-

आवेदक का इच्छापत्र^{२)}
सदस्य, बिहार विधान सभा/परिषद
लिखि-

परिणाम-११४

पाटड़-धाढ़ी, गुरु फलने के लिये अधिक सेवा उपलब्ध, निष्पादित किये जानेवाले भवार मा प्रयोग

उत्तर भैंसे प्राप्त एक द्वारा घट करते करते हैं और धोखा करता है जिस राज्यपाल
भौमा, विद्यान सभा/विद्यान परिषद के प्रधान-चेयर पर्सन अनिवार्य और उत्तर भैंसे प्राप्त

वाय्यकर होगा इसके अधीन समझ देवों को उचार लेने वाले पर चूम्हुकु, राम्पु इसके अधीन समझ देवों को उच्चुकु, लौकु, अम्बु, और भूमुखल-वैद्यकाएँ फौर्स्ट मैं यसूल कर लेते हैं ताकि उन्हाँ पर इह घटार किया जाता है और योग्यता की जाती है कि ग्राम्यपाल इह व्यापर को उच्चुकु तृष्णित समझा राखि को उचार लेने वाले को विधिक प्रतिनिधियों से स्तो चाहि पर जल में अमुक घरने के छपदार होंगे।

निम्नलिखित अधिकृत में ---
अपना इस्तमात्र कर दिया है।

निम्नलिखित अधिकृत में ---

प्रारं हस्तमात्र किया गया।

(1)

(2)

(राम्पु पता सूचि)

APPENDIX B
FORM OF MORTGAGE BOND FOR MOTOR CAR ADVANCE
UNDER THE MEMBERS' MOTOR CAR ADVANCE RULES, 1993

THIS INDENTURE MADE this day of
one thousand nine hundred and between
(hereinafter called "the Borrower", which expression shall
include his heirs, administrators, executors and legal representatives of the
one part and the Governor of Bihar (hereinafter called "the Governor",
which expression shall include his successors and assignees) of the other
part: Whereas, the Borrower has applied for and has been granted an
advance of Rupees to purchase a motor car on the terms of
the rules in the Members' Motor Car Advance Rules, 1993 (hereinafter
referred to as "the said Rules", which expression shall include any
amendment thereof or addition thereto for the time being in force) AND
WHEREAS one of the conditions upon which the said advance has
been/was granted to the Borrower is/was that the Borrower will/would
hypothecate the said Motor Car to the Governor as security for the amount
lent to the Borrower AND WHEREAS the Borrower has purchased with or
partly with the amount so advanced aforesaid the Motor Car particulars
whereof are set out in the Schedule hereunder written.

NOW THIS IDENTURE WITNESSETH that in pursuance of the
said agreement and for the consideration aforesaid the Borrower doth
hereby covenant to pay of the Governor the sum of Rs
aforesaid or the balance thereof remaining unpaid at the date of these
presents by equal payments of Rs each on the first day
of every month without any interest accruing on the sum for the time being
remaining due and the Borrower doth agree that payment may be recovered
by monthly deductions from his salary in the manner provided by the said
Rules, and in further pursuance of the said agreement the Borrower doth
hereby assign and transfer unto the Governor the Motor Car the particulars
whereof are set out in the Schedule hereunto written by way of security for
the said advance without any interest accruing thereon as required by the
said Rules: And the Borrower doth hereby agree and declare that he has
paid in full the purchase price of the said Motor Car and that the same is his
absolute property and that he has not pledged and so long as any money
remains payable to the Governor in respect of the said advance, will not
sell, pledge or part with the property in or possession of the said Motor Car.

Provided always and it is hereby agreed and declared that if any of the said instalments shall not be paid or recovered in manner aforesaid within ten days after the same are due or if the Borrower shall die or at any time cease to be a Minister or if the Borrower shall sell or pledge or part with the property in or possession of the said Motor Car or make any composition or arrangement with his creditors or if any person shall take proceedings in execution of any decree or judgment against the Borrower the whole of the said sum which shall then be remaining due and unpaid shall forthwith become payable AND IT IS HEREBY AGREED AND declared that the Governor may on the happening of any of the events hereinbefore mentioned seize and take possession of the said Motor Car and either remain in possession thereof without removing the same or else may remove and sell the said Motor Car either by public auction or private contract and may out of the sale moneys retain the balance of the said advance then remaining unpaid without any interest accruing thereon as aforesaid stand all costs, charges, expenses and payments properly incurred or made in maintaining, defending or realising his rights hereunder and shall pay over the surplus, if any, to the Borrower, his executors, administrators or personal representatives:

PROVIDED FURTHER that the aforesaid power of taking possession or selling of the said Motor Car shall not prejudice the right of the Governor to sue the Borrower or his personal representatives for the said balance remaining due or in the case of the Motor Car being sold the amount by which the net sale-proceeds fall short of the amount owing and the Borrower hereby further agrees that so long as any moneys are remaining due and owing to the Governor, he, the Borrower, will insure and keep insured the said Motor Car against loss or damage by fire, theft or accident with an Insurance Company to be approved by the Accountant-General, Bihar, and will produce evidence to the satisfaction of the Accountant-General that the Motor Insurance Company with whom the said Motor Car is insured have received notice that the Governor is interested in the Policy and the Borrower hereby further agrees that he will not permit or suffer the said Motor Car to be destroyed or injured or to deteriorate in a greater degree than it would deteriorate by reasonable wear and tear thereof and further that in the event of any damage or accident happening to the said Motor Car the Borrower will forthwith have the same repaired and made good.

THE SCHEDULE

Description of Motor Car

Maker's name

Description

No. of cylinders

Engine no.

Chassis no.

Cost Price

(प्रतिनिधि का दावा)

IN WITNESS whereof the said (Borrower's name) and for and on behalf of the Governor have hereunto set their respective hands the day and year first above written,

Signed by the said

(Borrower's name and designation)

in the presence of

(1)

(2)

(Signature of witnesses).

.....
(Signature and designation of the Borrower).

Signed by (name and designation)

.....
for and on behalf of the Governor
of Bihar in presence of

.....
(Signature and designation of the Officer).

(1)

(2)

(Signature of witnesses)

बिहार वक्तव्य कानूनी भूलक यह प्रतिनिधि, गवर्नर द्वारा प्राप्त प्रतिनिधि द्वारा
अधिकृत, अधिकारी व्यवाधार, विधि, विधा द्वारा दिलें।
विहार नगर (मुख्यारण), 749—571—1000—